हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 अक्तूबर, 1972

खण्ड 2, अंक 11

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 6 अक्तूबर, 1972

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(11)1
मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	(11)3
बहिर्गमन	(11)4

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(11)4
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(11)5
मेज पर रखे जाने वाले पत्र	(11)5
राज्यपाल का संदेश	(11)6
भारत के राष्ट्रपति का निर्देश	(11)6
बिल्जः—	
1. दी हरियाणा म्युनिसिपल कोमन लैंड्ज (रैगुलेशन), 1972	(11)6
2. दी पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) 1972	(11)9
3. दी पंजाब जनरल सेल्ज टैकस (हरियाणा अमैंडमैंअ एंड वैलिडेशन) 1972	(11)11
4. दी पंजाब कोआप्रैटिव सोसायटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) 1972	(11)15
5. दी पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माकर्ट्स (हरियाणा सैंकड अमैंडमैंट) 1972	(11)17
6. दी पंजाब अनाटमी (हरियाणा अमैंडमैंट) 1972	(11)18

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 6 अक्तूबर, 1972

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

E.S.I. Hospital

***174. Sh. K.N. Gulati:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that a portion of newly built E.S.I. Hospital Faridabad is in a damaged condition; and

(b) if so, whether the Government proposes to make an enquiry in the matter and proposes to take action against the defaulter?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) No portion of newly built E.S.I. Hospital building at Faridabad is in damaged condition.

(b) Question does not arise.

श्री के0एन0 गुलाटीः मैं स्पीकर साहब, आपसे .....

.

श्री अध्यक्षः आपने भाषण नहीं करना है, प्रश्न करें।

श्री के0एन0 गुलाटीः प्रश्न ही करता हूं। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी कंसर्न्ड आफिसर्ज ने गलत जवाब दिया है। इस बारे में मैंने पहले भी कहा था।

श्री अध्यक्षः आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री के0एन0 गुलाटीः आप सुनिए तो सही स्पीकर साहब। (व्यवधान) कोई मिनिस्अर या डिप्टी मिनिस्टर या कोई कांग्रेस पार्टी के एम0एल0ए0 मेरे साथ जाएं और सारी स्थिति को देखें कि वाकई ही यह गलत इन्फर्मेशन देते हैं या नहीं। मैं हाउस से दख्र्वास्त करता हूं कि वे इस चीज को देंखे, कोई वक्त मुकर्रर किया जाए वहां कब जाना चाहते हैं .....

श्री अध्यक्षः पोसवाल साहब की ड्यूटी लगाई गई थी। (शोर)

चौधरी बंसी लालः प्रभू राम बैठाा है वह चला जाएगा ..... (हंसी)

श्री के0एन0 गुलाटीः मैं आंखों देखा हाल दिखाऊंगा ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ाप तशरीफ रखिए (व्यवधान) आप पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री के0एन0 गुलाटी: क्या टाईम मुकर्रर होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाएं, आपका प्रश्न आ गया है .... (व्यवधान)।

Employees of Social Welfare Department

***168. Sh. K.N. Gulati:** Will the Minister for Development be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that some employees in the Social Welfare Department with long service are kept as temporary staff; and

(b) if so, whether the Government proposes to take steps to bring the whole staff of the above Department on a permanent footing?

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): (a) Yes.

(b) The matter is under consideration.

श्री के0एन0 गुलाटी: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने पार्ट 'ए' का जवाब दिया है 'यस'। क्या चीफ मिनिस्टर साहब डिपार्टमैंट के खिलाफ इस बात के लिए ऐक्शन लेंगे कि ये इम्पलाईज इतनी देर से क्यों टैम्परेरी रखे हुए हैं ? इतनी डिले क्यों हुई है और अब यह काम कब तक पूरा हो जाएगा ?

Development Minister (Sh. Shyam Chand): We have got two wings in the Social Welfare Department; one is the Social Welfare wing and the other, the relief wing. The expenditure for the relief wing is borne by the Government of

India and we are given 100% grant. The matter is under consideration because we are in correspondence with them. If thy want to make the employees permanent, we would do is, otherwise not.

श्री अध्यक्षः अब राव दलीप सिंह जी के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नं0 36 पर चीफ मिनिस्टर साहब स्टेटमैंट देंगे।

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः आप तशरीफ रखिए।

श्री के0एन0 गुलाटीः मुझे एक सैंकिंड बोलने के लिए दिया जाए .....

श्री अध्यक्षः गुलाटी साहब, आप तशरीफ रखिए, मैंने अजंडे की अगली आईटम बोल दी है।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): The district of Mohindergarh and the adjoining areas, in the districts of Hissar and Rohtak, bordering Rajasthan, have been severely affected by the drought causing wide, spread damage to the kharif crop. With practically no rain in September sowing of rabi crop has also become impossible. Keeping this in view, Haryana State Electricity Board has removed all cuts on power supply for agriculture purposes, in the entire district of Mohindergarh, tehsils of Bhiwani, and Loharu, and the Nahar

Sub-tehsil of Jhajjar tehsil, while the cuts on the urban load in these areas would be at par with other areas of the State.

Loharau, Jui and Sewani Canal systems have been closed, in consonance with the earlier statements made by me in the House that water will be given for these systems only when it is surplus to the requirement of the W.J.C. system. However, keeping in view the suggestion of the Honorable Member, and considering the serious drought conditions, which have hit both the kharif and rabi crops, in areas bordering Rajasthan, it has been decided by the Government to run the Loharu, Jui and Sewani projects for 15 days more in October. This is not going to materially affect irrigation on the Western Jamuna Canal, as tubewells have started augenting the supplies and the requirement of the Jui, Loharu and Sewani Projects is only about 10% of the W.J.C. system. It will not be possible to consider these areas at par with W.J.C. system upto 31st October, 1972 as the discharges of river Jamuna are expected to fall further, as normally happens at this time of the year.

2. It has also been decided by the Government to take action to make the lift schemes in the drought areas perennial as soon as additional waters start becoming available from the future augmentation tube well schemes. To start with, Jui Canal System, which was the first to be completed in 1971, would be made perennial on the commissioning of the Augmentation Canal Project. Additional supplies expected to be added by the tube wells this rabi, would be of the order of about 750 cusecs (on the basis of 18 hours working of 380 deep tube wells i.e. 100 on Narwana

Branch, 140 on Augmentation Canal, 70 on Delhi Parallel Branch and 70 on N.B.K. Link). While major portion of supplies added by these tubewells wil be given to the W.J.C. system, part supplies needed to make Jui Canal perennial would be given to the Jui Canal System. Other lift schemes in the drought areas, would also be made perennial, as additional supplies become available from further programmes of augmentation tube wells and other projects. Supplies to the extent of losses reduced on the lining of the Petwar and Dewa distributaries at the cost of Sewani project, would be given to the Sewani Project this Rabi.

3. Government accept the suggestion of the Hon. Member, Rao Dalip Singh, to suspend the recovery of all kinds of loans and revenues dues in the drought affected areas mentioned above.

बहिर्गमन

श्री के0एन0 गुलाटीः स्पीकर साहब, मुझे खुशी होती है कि आप बिना पक्षपात से हाउस का काम कर रहे हैं। मैं भी आपसे एक अपील करना चाहता हूं। तीन काल अटैन्शन मोशन्ज और तीन अडजर्नमैंट मोशन्ज के नोटिसिज दिए थे ..... (व्यवधान) ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सी0आई0ए0 के बारे में हैं, इलैक्ट्रिसिटी की कमी के बारे में, सड़कों के बारे में और पानी के बारे में है ..... (शोर)

श्री अध्यक्षः आप मेरे चैम्बर मे आना, मैं बता दूंगा।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): सी0आई0ए0 के बारे में क्या तकलीफ हो गई। कहीं अप्रोच तो नहीं कर रहे हैं .....

श्री के0एन0 गुलाटी: आप इनको मान लीजिए, अदरवाईज मैं मीठे तरीके से आना रोष प्रकट करते हुए वाक आउट करूंगा ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष: वे इन आर्डर नहीं थी, मैं आपसे बता करूंगा। अब आप तशरीफ रखिए। (व्यवधान)

श्री के0एन0 गुलाटी: मैं एज ए प्रोटैस्ट वाक आउट करता हूं।

(इस समय श्री के0एन0 गुलाटी वाक आउट कर गए)

एक सदस्य: जल्दी आ जाना गुलाटी साहब, तुम्हारे बिना मजा किरकिरा हो जाएगा। (हंसी)

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sitting of the Assembly', indefinitely.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'सभा की बैठके' के उपबन्धों से मुक्त किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक 'सभा की बैठके' के उपबन्धों से मुक्त किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move:-

That the Assembly at its rising this day shall stands adjourned sine-die.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि सभा अपनी आज की बैठक के उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि सभा अपनी आज की बैठक के उठने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री मेज पर पत्र रखेंगे।

(मंत्रियों की आपस में बातचीत)

श्री अध्यक्षः कैटल फेयर के बारे में है। रूलज हैं कैटल फेयर के बारे में।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): एजैडे पर तो है नहीं। अब आप बताईए मैम्बरों की हालत क्या होगी एजैडा जब मेरे पास भी टाईम पर नहीं पहुंचा ? मुझे भी हाउस में पता लगता है। (इस समय एक कागज मुख्य मंत्री जी को दिया गया।)

स्पीकर साहब, मैं पशु मेला अधिनियम 1970 की धारा 22(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा पशु मेला नियमावली, 1970 संबंधी अधिसूचना सं0जी0एस0आर0 131/एस0ए0 30/70/एस0 22/70 दिनांकित 7 दिसम्बर, 1970 की एक प्रति मेज पर रखता हूं।

स्पीकर साहब, मुझे यह कापी असैम्बली सैक्रिटेरियट की अभी मिली है, मेरे पास कोई कापी नहीं है। कल मैम्बर साहिबान कह रहे थे कि एजेन्डा नहीं मिलता। जब यह हालत एजेन्डे की है मुझे ही नहीं मिलता तो वे सच्चे हैं।

राज्यपाल का संदेश

Mr. Speaker: I have received the following message of the Governor of Haryana returning the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1971:-

"I, B.N. Chkravarty, Governor of Haryana, hereby return the Haryana Municipal Common Land (Regulation) Bill, 1971 for re-consideration by the House with a view to excluding from the purview thereof those Shamlat deh lands which have been acquired as evacuee property under the provisions of Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

The three copies of the Bill in original along with the direction of the President of India in original, are sent herewith."

भारत के राष्ट्रपति का निर्देश

Mr. Speaker: Now I read out the directive dated the 14th August, 1972 from the president of India to the Governor of Haryana, Chandigarh:

"I, Varahagiri Venkata Giri, President of India, having considered the Haryana Municipal Commons Land (Regulation) Bill, 1971, which was reserved for my consideration under the provisions of article 31a of the constitution of India, do hereby direct in pursuance of the proviso to Article 201 of the Constitution, that the Bill be returned to the House of the Legislature of the State of Haryana with a message that the House will reconsider the

provisions of the Bill with a view to excluding from the purview thereof those Shamlat Deh Lands which, as evacuee property, have been thereof acquired under the provisions of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

बिज(ज)

दी हरियाणा म्युनिसिपल कौमन लैंड्ज (रैगुलेशन) बिल, 1971

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री महोदय बिल पेश करेंगे।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulation) Bill, 1971, passed by the Haryana Vidhan Sabha on the 2nd August, 1971, be reconsidered in the light of the observations contained in the direction, dated the 14th August, 1972, from the President of India conveyed by the Governor in his message, dated the 30th September, 1972, with a view to excluding from the purview thereof those Shamlat Deh Lands which, as evacuee property, have been thereof acquired under the provisions of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954).

श्री अध्यक्षः कुछ बोलना चाहेंगे आप ?

चौधरी बंसी लालः जी नहीं।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

दि हरियाणा विधान सभा द्वारा 2 अगस्त, 1971 को पारित किए गए दी हरियाणा म्यूनिसिपल कौमन लैंड्ज (रैगुलेशन) बिल, 1971 (हरियाणा नगरपालिका शामलात भूमि विनियमन विधेयक, 1971) पर, भारत के राष्ट्रपति के 14 अगस्त, 1972 के निदेश में वर्णित विचारों के प्रकाश में, जो राज्यपाल ने अपने 30 सितम्बर, 1972 के संदेश में संसूचित किए हैं, विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पति के रूप में अर्जित की हुई शामलात देह भूमियों को इसकी व्याप्ति से अपवर्जित करने के विचार से पुनर्विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

दि हरियाणा विधान सभा द्वारा 2 अगस्त, 1971 को पारित किए गए दी हरियाणा म्यूनिसिपल कौमन लैंड्ज (रैगुलेशन) बिल, 1971 (हरियाणा नगरपालिका शामलात भूमि विनियमन विधेयक, 1971) पर, भारत के राष्ट्रपति के 14 अगस्त, 1972 के निदेश में वर्णित विचारों के प्रकाश में, जो राज्यपाल ने अपने 30 सितम्बर, 1972 के संदेश में संसूचित किए हैं, विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) के उपबन्धों के अधीन निष्क्रान्त सम्पति के रूप में अर्जित की हुई शामलात देह भूमियों को इसकी व्याप्ति से अपवर्जित करने के विचार से पुनर्विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 1 की सब क्लाजिज (2) और (3)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाज 1 की सब क्लाजिज (2) और (3) विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः क्लाज 2 में मुख्य मंत्री जी अमैंडमैंट मूव करेंगे।

चौधरी बंसी लालः कहां है अमैंडमैंट ?

श्री अध्यक्षः आपकी तरफ से संशोधन है।

Ch. Bansi Lal: I beg to move:-

That in sub-clause (g), the existing items (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) be re-numbered as items (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) and (ix) respectively and before item (iii) as so re-numbered, the following item be inserted, namely:-

"(ii) has been acquired under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (Central Act 44 of 1954)."

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

That in sub-clause (g), the existing items (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) be re-numbered as items (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) and (ix) respectively and before item (iii) as so re-numbered, the following item be inserted, namely:-

"(ii) has been acquired under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (Central Act 44 of 1954)."

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

That in sub-clause (g), the existing items (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) and (viii) be re-numbered as items (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) and (ix) respectively and before item (iii) as so re-numbered, the following item be inserted, namely:-

"(ii) has been acquired under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (Central Act 44 of 1954)."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि क्लाज 2 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने।

प्रस्वाव स्वीकृत हुआ।

क्लाजिज 3 से 10

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि क्लाजिज 3 से 10 विधेयक का अंग बने।

प्रस्वाव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1 की सब क्लाज (1)

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि क्लाज 1 की सब क्लाज (1) विधेयक का अंग बने।

प्रस्वाव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि शीर्षक विधेयक का शीर्षक हो।

प्रस्वाव स्वीकृत हुआ।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That the Haryana Municipal Common Lands (Regulations) Bill (हरियाणा नगरपालिका शामलात भूमि (विनियमन) विधेयक) (as received back from the Governor for reconsideration) as amended be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी हरियाणा म्यूनिसिपल कौमन लैंड्ज4 (रैगुलेशन) बिल, (हरियाणा नगरपालिका शामलात भूमि (विनियमन) विधेयक)

(जैसा कि राज्यपाल से पुर्नविचार के लिए वापिस प्राप्त हुआ) यथा संशोधित पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि दी हरियाणा म्यूनिसिपल कौमन लैंड्ज4 (रैगुलेशन) बिल, (हरियाणा नगरपालिका शामलात भूमि (विनियमन) विधेयक) (जैसा कि राज्यपाल से पुर्नविचार के लिए वापिस प्राप्त हुआ) यथा संशोधित पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दी पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill, 1972; (पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972)

I also move:-

That the Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill, 1972; (पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि दी पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करे।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाज 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाज 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि शीर्षक विधेयक शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That the Punjab Khadi and Village Industries Board (Haryana Amendment) Bill (पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि दी पंजाब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रज बोर्ड (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दी पंजाब जनरल सेल्ज टैक्स (हरियाणा अमैंडमैंट ऐंड वैलिडेशन) बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment and Validation) Bill, 1972; (पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक, 1972)

I also move:-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment and Validation) Bill, (पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब सेल्ज टैक्स (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल (पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, यह बिल जो हमारे सामने पेश है इसके स्टेटमैंट आफ आवजैक्ट्स एन्ड रीजन्ज में यह लिखा हुआहै कि कोर्टस ने कुछ कानून में नुक्स की बिना पर मंजूर नहीं किया था इसलिए यह दोबारा लाया गया है। लेकिन जैसे कि हम इस पर दोबारा विचार कर रहे हैं, तो मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि

इसमें ऐसे आईटमज हैं जैस एग्रीकलचर इम्पलीमैंट्स हैं, फर्टेलाइजर हैं, फाडर हैं, यह सभी चीजें किसान से संबंधित है। एक दिन या दो दिन पहले हमने लैन्ड सीलिंग बिल पास किया था उसके अनुसार जमीन पर सीलिंग कम कर दी गयी है। अगर यह सेल्ज टैक्स इन आईटम्ज पर लगा तो किसान पर और भी ज्यादा बोझा पड़ेगा। जमीन की जहां कमी हुई हैं वहां जमीन जोतने के लिए जो इम्पलीमैंट्स चाहिएं, फर्टेलाइजर चाहिएं वे और भी ज्यादा मंहगी होंगी। जमीन पर तो पहले ही ज्यादा बोझा पड़ गया है। अब किसाान जो चीजें खरीदेगा चाहे व फाडर है, बीज है, फर्टेलाइजर है, एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स हैं वे पहले ही काफी मंहगी है और अब और भी ज्यादा मंहगी हो जायेगी। सरकार ने जो इन इम्पलीमैंट्स के रेट मुकर्रर किये हैं, अगर उनका मुकाबला किया जाये तो किसान को बहुत कम बचत होती है। तो ऐसे हालात के अन्दर जब पहले कानून के द्वारा उसमें किसी नुक्स की बिना पर यह सैल्ज टैक्स नहीं लिया गया था तो फिर इसे पिछली डेट से लगा कर किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

मैं आपकी मार्फत सरकार से अनुरोध करूंगा कि मौजूदा हालात को पेशेनजर रखते हुए इस बिल का वापिस ले लिया जाये ताकि किसानों पर ज्यादा बोझा न पड़े और किसान जो ज्यादा पैदावार बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकें। किसान ठीक ढंग से अपनी खेती कर सके। बस, यही मेरी अर्ज थी।

श्री गुलाब सिंह जैन (हिसार): स्पीकर साहब, इस बिल में जो वैलीडेशन की क्लाज है, मैं उसके बारे में सरकार से अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक सेल्ज टैक्स का ताल्लुक है, दुकानदार लोग इसे गवर्नमैंट के बिहाफ पर वसूल करके गवर्नमैंट के खजाने में जमा कराते हैं। इन दुकानदारों को कुछ आईटम्ज के बारे में यह शक रहा कि आया इन चीजों पर सेल्ज टैक्स लगा है या नहीं लगा। बहुत से दुकानदारों ने सेल्ज टैक्स वसूल किया और गवर्नमैंट के खजाने में दाखिल भी कर दिया। लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने वसूल तो किया लेकिन दाखिल नहीं किया। बहुत से ऐसे दुकानदार भी हैं जिन्होंने वसूल नहीं किया और यह समझ कर वसूल नहीं किया कि इन आईटम्ज पर सेल्ज टैक्स नहीं लगा हुआ है। अगर आज जब यह बिल पास हो जाता है, तो उस हालत में उन दुकानदारों के साथ जिन्होंने सेल्ज टैक्स वसूल नहीं किया है, बड़ी हार्डशिप होगी। जिन दुकानदारों ने सेल्ज टैक्स वसूल नहीं किया है, उनके ख्याल में इन आईटम्ज पर सेल्ज टैक्स नहीं लगना चाहिए था। उनका ख्याल भी पुख्ता था और इस बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जजमैंट भी दे दी थी। इसका मतलब यह है कि उस वक्त कानून का मनसूबा यह नहीं था कि उन आईटम्ज पर सेल्ज टैक्स लगना चाहिए। इसलिए मेरी मुख्य मंत्री महोदय से पुरजोर अपील है कि जिन लोगों ने यह सेल्ज टैक्स वसूल नहीं किया, और वे उस वक्त अपने ग्राहकों से मांग भी नहीं सकते थे, उनके लिये किन्हीं एग्जैक्टिव इंस्ट्रक्शन्ज द्वारा या सोच समझ कर अगर इसमें कोई अमैंडमैंट करने की

जरूरत समझें तो कर दें वरना उन दुकानदारों के साथ बड़ा अन्याय होगा। उनको शायद इतना टैक्स देना पड़ जाये तो उनकी ताकत से भी बाहर हो। अगर कसूर है तो कानून का है। यह कसूर इसलिए है कि गवर्नमैंट ने कानू के अन्दर खला छोड़ा था। मेरा आपसे इलतमास है कि अगर सरकार टैक्स लगाना ही चाहती है स्टेट के रिसोर्सिज के लिए जरूरत है, तो लगाये, लेकिन .... स्पीकर साहब, जिस टैक्स को वसूल करने की जिम्मेदारी दुकानदार पर आयद नहीं होती थी, उसकी जिम्मेदारी इस वैलिडेशन एक्ट के जरिये दुकानदार पर डालना, उचित नहीं है। जिन्होंने यह टैक्स वसूल कर लिया है, आप उनसे टैक्स ले लें, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं हैं। जिन्होंने यह टैक्स दाखिल कर दिया है, वह तो ठीक यिका है लेकिन जिन्होंने वसूल ही नहीं किया है और यह समझते थे कि इन चीजों पर सेल्ज टैक्स आयद नहीं होता, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना कि वे पिछला टैक्स भी जमा करायें, उनके साथ सख्ती होगी क्योंकि ये सेल्ज टैक्स उन्हेांने अपने पास से नहीं देना होता। इन्कम टैक्स और सेल्ज टैक्स में डिफरैन्स है। इन्कम टैक्स तो वह अपनी आमदनी में से, अपनी कमाई में से देता है लेकिन सेल्ज टैक्स तो दुकानदार अपनी आमदनी में से नहीं देता और न ही अपनी जेब से देता है। वह तो यह टैक्स ऐज रैवेन्यू आन बीहाफ आफ दी गवर्नमैंट, कस्टमर से वसूल करता है। जैसे औकट्राय पोस्ट पर चुंगी मेहर्रर बैठा होता है, वह चुंगी वसूल करता है। उसके पास जिस प्रकार की इंस्ट्रक्शन्ज हों, वह उसी प्रकार से चुंगी वसूल करता है। उन

इंस्ट्रक्शन्ज के अलावा, वह किसी एक आईटम पर भी चुंगी नहीं लगा सकता। दो साल 5 साल या 6 महनी के बाद अगर किसी वजह से यह आर्डर कर दिया जाये कि इन इन चीजों पर भी चुंगी लगनी चाहिए थी और फिर वह चुंगी, चुंगी मोहर्रर से वसूल की जायें तो वह कहां से दाखिल करेगा ? यही पोजीशन सेल्ज टैक्स के मामले में दुकानदार की है। मैंने अपने ख्याल के मुताबिक इस पर सुझाव दे दिया है, सरकार इन पर विचार कर ले। अगर किसी दुकानदार ने सेल्ज टैक्स वसूल नहीं किया है, क्योंकि यह उसकी अपनी गलती नहीं है, उसकी अपनी गलती से वसूल न किया गया होता तब तो वह देनदार होता, उससे सेल्ज टैक्स वसूल न किया जाये ? जैसे औकट्राय पोस्ट पर चुंगी मोहर्रर की गलती की वजह से चुंगी वसूल न की गयी हो, तब तो उसके खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। इसी तरह से जब दुकानदार ने टैक्स वसूल नहीं किया, उसकी अपनी भी गलती नहीं, सरकार की गलती थी या उस वक्त का कानून का मन्शा ही ऐसा समझा गया और उनका मन्शा जुडीशियल अथोरिटीज ने भी क्लीयर कर दिया, तो दुकानदार के साथ इन्साफ होना चाहिए। उसने जिन हन्ड्र्ड और थाउजैन्ड्ज आफ कस्टमर्ज को माल बेचा है, अब उनसे सेल्ज टैक्स वसूल नहीं कर सकता। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि गवर्नमैंट मेरा यह व्यू प्वायंट ध्यान में रखे।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल): स्पीकर साहब, हमने इस बिल में कोई नया टैक्स तो लगाया नहीं। जो कुछ हमारे पुराने

कानून के बारे में अदालत के फैसले की वजह से कुछ कम्पलीकेशन्ज पैदा हो गयी थीं, हमने तो उन कम्पलीकेशन्ज को सिम्पलीफाई किया हैं। जहां तक यह सवाल है कि किसी दुकानदार ने सेल्ज टैक्स वसूल किया या न किया, अगर हाईकोर्ट से फैसला होने पर यह हो गया तो कि आगे इस चीज पर टैक्स नहीं लिया जायेगा और सुप्रीम कोर्ट से उस वक्त तक यह फैसला न हुआ हो कि नहीं लिया जायेगा, उस बीच की बात, हम जो सही होगी किसी ने लिया है उससे लेंगे, नहीं लिया है, उससे नहीं लेंगे। लेकिन खाली यह बहाना कि उन्हें मालूम नहीं था, काम नहीं देगा। Ignorance of law is no excuse ..... अगर किसी आदमी ने अपने दिमाग में यह बात सोच ली हो कि इस के ऊपर टैक्स नहीं है और टैक्स वाकई उस पर है तो वह तो हम वसूल करेंगे। उसी के लिए हम लैजिस्लेशन ला रहे है। टैक्स इवेजन को रोकने का कोई न कोई तरीका तो होगा ही।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि दी पंजाब सेल्ज टैक्स (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल (पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 और 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि क्लाज 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि क्लाज 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि शीर्षक विधेयक शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That the Punjab General Sales Tax (Haryana Amendment and Validation) Bill, (पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब सेल्ज टैक्स (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल (पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक) को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि दी पंजाब सेल्ज टैक्स (हरियाणा अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल (पंजाब सामान्य बिक्री कर (हरियाणा संशोधन तथा मान्यीकरण) विधेयक) को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दी पंजाब कोआप्रेटिव सोसायटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1972

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill, 1972. (पंजाब सहकारी संस्था (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972)

Sir, I also beg to move:-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill (पंजाब सहकारी संस्था (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब कोआप्रेटिव सोसायटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल (पंजाब सहकारी संस्था (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि दी पंजाब कोआप्रेटिव सोसायटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल (पंजाब सहकारी संस्था (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 से 9

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाज 2 से 9 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाज 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि शीर्षक विधेयक शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to move:-

That the Punjab Co-operative Societies (Haryana Amendment) Bill (पंजाब सहकारी संस्था (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब कोआप्रेटिव सोसायटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल (पंजाब सहकारी संस्था (हरियाणा संशोधन) विधेयक) को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि दी पंजाब कोआप्रेटिव सोसायटीज (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल (पंजाब सहकारी संस्था (हरियाणा संशोधन) विधेयक) को पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दी पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (हरियाणा सैकंड अमैंडमैंट) बिल, 1972

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill, 1972 (पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1972)

Sir, I also beg to move:-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill (पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब ऐग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट्स (हरियाणा सैकंड अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह हैः—

कि दी पंजाब ऐग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट्स (हरियाणा सैकंड अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2 से 5

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाज 2 से 5 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि क्लाज 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि शीर्षक विधेयक शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Agriculture Minister (Ch. Bhajan Lal): Sir, I beg to move:-

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Second Amendment) Bill (पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

कि दी पंजाब ऐग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट्स (हरियाणा सैकंड अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक) पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः—

कि दी पंजाब ऐग्रीकलचरल प्रोड्यूस मार्केट्स (हरियाणा सैकंड अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब कृषि उपज मण्डी (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दी पंजाब अनाटमी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1972

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to introduce the Punjab Anatomy (Haryana Amendment) Bill, 1972 (पंजाब शरीर—शास्त्र (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1972)।

Sir, I also beg to move:-

That the Punjab Anatomy (Haryana Amendment) Bill (पंजाब शरीर—शास्त्र (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि दी पंजाब अनाटमी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब शरीर शास्त्र (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि दी पंजाब अनाटमी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब शरीर शास्त्र (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन विधेयक पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा।

क्लाज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाज 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:—

कि क्लाज 1 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शीर्षक

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि शीर्षक विधेयक शीर्षक हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Chief Minister (Ch. Bansi Lal): Sir, I beg to move:-

That the Punjab Anatomy (Haryana Amendment) Bill (पंजाब शरीर–शास्त्र (हरियाणा संशोधन) विधेयक) be passed.

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि दी पंजाब अनाटमी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब शरीर शास्त्र (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न यह है:–

कि दी पंजाब अनाटमी (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, (पंजाब शरीर शास्त्र (हरियाणा संशोधन) विधेयक) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः अब सदन अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित किया जाता है।

10.11 प्रातः

(इस समय सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ।)